पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBE No.- 68/15

CPO's Sl. No. 94/15

No. E/Misc/0/ECR/HQP

dated : 22/7/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू०म०रे०, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पूमरे / हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पूमरे / हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पूमरे / हाजीपुर

विषय / Sub.: Maintenance and Preparation of Annual Performance Appraisal Reports – Communication of all entries for fairness and transparency in public administration –

संदर्भ / Ref: Rly. Bd's letter No. E(NG)I-2015/CR/3 dt 24/6/15

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।
DA : As above.

22.7.15
(प्रेम कुमार)
वरिष्ठाधि / ESM एवं रेलवेमंत्री
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पूमरे / हाजीपुर ।
2. महासचिव / एस०सी० / एस०टी० एशोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर ।
3. अध्यक्ष (एपी:पी), पू०म०रे०, हाजीपुर, कृपया इस नोट पर आपलोग मार्गदर्शन करें।
4. महासचिव / ओ०बी०सी० एसो०सिएशन / पूमरे / हाजीपुर

CA/ 22/7/15

RB/Estt. No. 68 /2015

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I-2015/CR/3 New Delhi dated 24.06.2015

The General Managers(P)
All Zonal Railways & Production Units
(As per standard list).

Sub: **Maintenance and preparation of Annual Performance Appraisal Reports-Communication of all entries for fairness and transparency in public administration – regarding.**

Pursuant to the guidelines contained in DOP&T's O.M. No.21011/1/2005-Estt(A) (Pt.II) dated 14.05.2009, instructions were issued vide Board's letter No. 2009/SCC/3/6 dated 18.08.2009 laying down the procedure for maintenance & preparation of Annual Performance Appraisal Reports (APAR) and communication of all entries recorded in APAR for fairness and transparency in public administration etc. The matter was considered and it was decided later-on that these instructions are applicable mutatis mutandis to the non-gazetted staff working on Zonal Railways vide Board's letter No. E(NG)I-2009/CR/2 dated 30.04.2010.

2. Hon'ble CAT/Calcutta Bench, Kolkata, in their order dated 22.08.2014, delivered in O.A. No.1047 of 2011 filed by Shri Anup Roy Vs Chittaranjan Locomotive Works (CLW), have directed as follows:- "Non communication of an entry is arbitrary. It is not only when there is a bench mark but in all cases that an "entry" (whether it is poor, fair, average, good, or very good) must be communicated to a public servant, otherwise, there is a violation of principle of fairness, which is soul of natural justice. Even an outstanding entry should be communicated, since that boost the morale of an employee and make him work harder."

3. Board wish to reiterate that the instructions contained in Board's letter dated 30.04.2010 quoted above may be adhered to scrupulously in order to comply with the directives of Hon'ble CAT/Calcutta.

(This disposes of CPO/CLW's Reference No. GMA/Law/OA No.1047/2011 dated 21.03.2015).

Receipt of this letter may be acknowledged.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

आरबीई सं. 68/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2015/सीआर/3 नई दिल्ली, दिनांक 24.06.2015

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का अनुरक्षण और उसे तैयार करना- सार्वजनिक प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रविष्टियाँ की सूचना देना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.05.2009 के का. ज्ञा. सं. 21011/1/2005-ईस्ट(ए) (पार्ट-I) के अनुसार, बोर्ड के दिनांक 18.08.2009 के पत्र सं. 2009/एससीसी/3/6 के तहत वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के अनुरक्षण एवं उसे तैयार करने की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए एपीएआर में रिकार्ड सभी प्रविष्टियों की सूचना देने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे ताकि सार्वजनिक प्रशासन, आदि कार्य में निष्पक्षता और पारदर्शिता आए। इस मामले पर विचार किया गया और बाद में यह विनिश्चय किया गया कि बोर्ड के दिनांक 30.04.2010 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2009/सीआर/2 के तहत जारी ये अनुदेश यथोचित परिवर्तनों सहित क्षेत्रीय रेलों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

2. श्री अनूप राय द्वारा चितरंजन रेल इंजन कारखाना (सीएलडब्ल्यू) के विरुद्ध दायर 2011 के ओ. ए. सं. 1047 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कोलकाता बैंच ने अपने दिनांक 22.08.2014 के आदेश में निदेश दिया था:- "किसी प्रविष्टि की सूचना न देना मनमानी करना है। न केवल बेंचमार्क की स्थिति में अपितु सभी मामलों में "प्रविष्टि" (चाहे वह खराब, सामान्य, औसत, उत्तम अथवा अति उत्तम हो) की सूचना अनिवार्यता जन-सेवक को दी जाए, अन्यथा इससे निष्पक्षता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है, जो नैसर्गिक न्याय की आत्मा है। यहां तक की उत्कृष्ट प्रविष्टि की सूचना भी दी जानी चाहिए क्योंकि इससे कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है और उसे और मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।"

3. बोर्ड पुन: दोहराना चाहता है कि ऊपर उल्लिखित बोर्ड के दिनांक 30.04.2010 के पत्र में निहित अनुदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए ताकि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/कोलकाता के निदेशों का अनुपालन हो सके।

(इससे मुख्य कार्मिक अधिकारी/सीएलडब्ल्यू के दिनांक 21.03.2015 के पत्र सं. जीएमए/लॉ/ओए सं 1047/2011 का निपटान हो जाता है)

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड